आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–37/2022

श्री राज कुमार झा

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
23.01.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना के समादेशवाद संख्या–**10287/2020** में दिनांक–**10.01.2022** को पारित आदेश के आलोक में **श्री राज कुमार झा** द्वारा यह सेवा अपील दायर की गई है। 2. अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला श्री **झा** के विरूद्ध समाहरणालय, **मुजफ्फरपुर** (जिला स्थापना प्रशाखा) के आदेश ज्ञापांक–731 दिनांक–**04.06.2021** द्वारा संसूचित शास्ति से संबंधित है। 3. उल्लेखनीय है कि अपीलकर्त्ता द्वारा जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–95 दिनांक–18.01.2020 द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने के आदेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में समादेशवाद संख्या–10287/2020 राज कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.01.2022को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है– **"Petitioner is at liberty to question the final order passed in the disciplinary proceedings and so also he is permitted to make necessary representation to regulate the suspension period in accordance with law. If such representation is submitted, the competent authority is hereby directed to pass a speaking order in regulating the suspension period within a period of three months from the date of filing such representation."** 4. माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में श्री झा द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलवाद दायर किया गया है। श्री झा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं संबंधित अभिलेख के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य अंकनीय हैं– (i)प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–657 दिनांक–14.12.2019 द्वारा समर्पित	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	प्रतिवेदन के आलोक में श्री राज कुमार झा, जनसेवक–सह–पचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज बलौरडीह, रजला एवं खरौनाडीह द्वारा अवधिबद्ध शिक्षक नियोजन का कार्य बाधित किए जाने के आरोप के लिए समाहरणालय, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–95 / पंचायत दिनांक–18.01.2020 द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। (ii) श्री झा के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित है– (क) श्री राज कुमार झा, जनसेवक–सह–पंचायत सचिव के द्वारा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 में शिक्षक नियोजन से संबंधित आवेदन पत्र स–समय प्राप्त नहीं करना। आवेदन स–समय प्राप्त नहीं होने के कारण शिक्षक नियोजन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। श्री झा द्वारा दिनांक–03.10.2019 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कुढ़नी को लिखित आवेदन देकर वर्ष 2019 के प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियोजन कार्य से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। इनके जिम्में पंचायत बलौरडीह / खरौनाडीह एवं रजला का प्रभार था। श्री झा द्वारा बिना किसी आदेश के शिक्षक नियोजन का आवेदन लेना बंद कर दिया गया। जिसके कारण लाभार्थी प्रखंड कार्यालय में आवेदन जमा करने के लिए उपस्थित होने लगे। (ख) उल्लेखित परिस्थिति को देखते हुए कार्यालय के पत्रांक–4063 दिनांक–02.09.2019 के द्वारा आवेदन प्राप्ति हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी। श्री झा, जनसेवक–सह–पंचायत सचिव प्रखंड कार्यालय, कुढ़नी का उक्त कृत्य आदेश की अवहेलना, स्वैच्छाचारिता, लापरवाही एवं सवेदनशील कार्य में असंवेदनहीनता का द्योतक है। (ग) श्री राज कुमार झा, जनसेवक–सह–पंचायत सचिव द्वारा आदेश की अवहेलना की गयी है तथा स्वैच्छाचारिता का परिचय दिया गया है। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) (i) (ii) (iii) एवं (iv) के प्रतिकूल है। (iii) संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (वि0जा0), मुजफ्फरपुरके अधिगम में श्री राज कुमार झा, निलंबित जनसेवक–सह–पंचायत सचिव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को सही एवं सत्य पाया गया। (iii) संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष एवं आरोपित कर्मी से प्राप्त अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) के समीक्षोपरांत आरोप को प्रमाणित पाते हुए	

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–731 दिनांक–04.06.2021 द्वारा श्री राज कुमार झा, निलंबित जनसेवक–सह–पंचायत सचिव प्रखंड कार्यालय कुढ़नी के विरूद्ध निम्नलिखित दंड अधिरोपित किया गया–

1. संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।
2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे कुछ भी देय नहीं होगा।

5. यद्यपि श्री झा द्वारा उनके निलंबनादेश को समादेश याचिका संख्या–10287/2020 द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौति दी गई थी परन्तु उक्त वाद में आदेश पारित होने के पूर्व ही श्री झा के विरूद्ध दंड संसूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त हो गई एवं श्री झा को निलंबन मुक्त कर दिया गया।

6. श्री झा द्वारा समर्पित अपील वाद में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है–

(i) अपीलकर्त्ता के अधीन तीन पंचायतों का प्रभार था। साथ ही शिक्षक नियोजन से संबंधित कार्यों में भी प्रतिनियुक्त किया गया था। उनके द्वारा शिक्षक नियोजन का कार्य स–समय पूर्ण करते हुए मेधासूची का प्रकाशन प्रखंड से लेकर पंचायतों तक कराया गया। खरौनाडीह पंचायत के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अभिलेख लेने में टालमटोल किए जाने पर उनके द्वारा डाक के माध्यम से अभिलेख भेजा गया।

(ii) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कुढ़नी के असहयोगात्मक रवैये के कारण पंचायत शिक्षक नियोजन समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा आक्रोश जाहिर किया गया।

(iii) उनके द्वारा स–समय कार्य पूर्ण किए जाने के बावजूद उनके विरूद्ध कर्रवाई की गई परन्तु अन्य पंचायतों में शिक्षक नियोजन संबंधी कार्य स–समय पूर्ण नहीं होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।

(iv) जहाँ तक अपीलकर्त्ता पर आरोप लगा की अपीलकर्त्ता द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियोजन कार्य से मुक्त करने संबंधी आवेदन दिया गया था, इस संबंध में कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक–1435 दिनांक–25.09.2019 के द्वारा पत्र निर्गत किया कि नियोजन से संबंधित किसी भी शिथिलता/अनियमितता की जिम्मेवारी पंचायत सचिव पर होगी। पंचायत शिक्षक नियोजन से सरकारी निदेशानुसार शिक्षा समितियाँ कार्यरत है

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिसमें 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति राजनैतिक पद धारक हैं जो नियोजन में मुख्य भूमिका निभाते है। एक व्यक्ति शिक्षक तथा एक पंचायत सचिव होते हैं। इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति की सहमति से तथा पूरी शिक्षा विभाग की टीम जाँच पड़ताल में रहती है फिर वैसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का यह कहना उक्त कार्य में अनियमितता के लिए केवल पंचायत सचिव दोषी होंगे जो न्याय संगत नही है। इसलिए अपीलकर्त्ता ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के उक्त पत्र के आधार पर शिक्षक नियोजन से मुक्त करने संबंधी पत्र प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कुढ़नी मुजफ्फरपुर को दिया।

(v) यह कि यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि पिछली बार भी शिक्षक नियोजन में 5 सदस्यों में से किसी सदस्य पर कोई आरोप नही लगाया गया केवल अपीलकर्त्ता पंचायत सचिव पर आरोप लगाकर मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया।इसलिए अपीलकर्त्ता ने शिक्षक नियोजन से मुक्त करने का निवेदन किया।

7. समस्त अभिलेख के अवलोकन एवं सुनवाई में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के समीक्षोपरांत निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट है–

(i) श्री राज कुमार झा, जनसेवक–सह–पंचायत सचिव शिक्षक नियोजन कार्य का दायित्व निर्वहन करने के प्रति अनिच्छुक थे। पूर्व में उक्त कार्य से मुक्त किए जाने के अनुरोध, एवं प्रस्तुत अपील में भी उनके द्वारा अंकित तथ्यो से शिक्षक नियोजन के दायित्व निर्वहन में उनकी अरूची स्पष्ट है। कोई भी सरकारी सेवक अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता है एवं किसी कार्य से मुक्त करने का आवेदन देना भी अक्षमता एवं अनुशासनहीनता है।

(ii) सरकार के निदेश के बावजूद उनके द्वारा शिक्षक नियोजन संबंधी अभ्यावेदन नहीं लेना एक गंभीर अपराध एवं सरकारी आदेश की अवहेलना का स्पष्ट रूप से परिचायक है। यह कृत्य भी सरकारी सेवा के अपेक्षित आचरण के विरूद्ध है। पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के सचिव के रूप में पंचायत सचिव ही मुख्य रूप से आवेदन लेने, अभिलेख संधारण, के लिए जिम्मेवार होते है, एवं उनकी लापरवही स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

(iii) कोई भी सरकारी सेवक सरकार की योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु अपनी जिम्मेवारी से इस आधार पर इन्कार नहीं कर

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सकता कि जिम्मेवारी के निर्वहन के कारण उन्हें बाद में असहज स्थिति का सामना करना होगा। इस प्रकार अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन नहीं करने, सरकारी निदेश का उल्लंघन करने एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करने के लिए श्री झा स्पष्ट रूप से जिम्मेवार हैं। (iv) यहाँ संचालन पदाधिकारी की यह समीक्षा भी महत्वपूर्ण है कि जब श्री झा की शिकायत वरीय पदाधिकारियों से की गई तब कार्रवाई के भय से श्री झा द्वारा शिक्षक नियोजन कार्यों का निष्पादन किया गया। अतएव सम्पूर्ण तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात् यह न्यायालय जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–731 दिनांक–04.06.2021 द्वारा श्री राज कुमार झा, जनसेवक–सह–पंचायत सचिव के विरूद्ध मुखर आदेश से संसूचित शास्ति को यथावत रखा जाता है, एवं प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत किया जाता है।साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में श्री झा के निलंबन अवधि को निम्नरूपेन विनियमित किया जाता है– ''निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की जाएगी।'' लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL